SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत में मीडिया विचारण का सामाजिक–सह–विधिक अध्ययन

देव कुमार ओझा, विधि विभाग
विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, नवाबगंज, कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
देव कुमार ओझा

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/12/2023
Revised on : -----
Accepted on : 28/02/2024
Overall Similarity : 03% on 20/02/2024

शोध सार

मीडिया को लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक माना जाता है। मीडिया समाज की राय को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पूरे दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम है जिसके माध्यम से लोग विभिन्न क्रियाकलापों घटनाओं को जानते है, समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबन्ध करता है। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। एक स्वतंत्र, स्वतंत्र और शक्तिशाली मीडिया का अस्तित्व लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रेस की स्वतंत्रता सार्वजनिक मुद्दों और घटनाओं में सार्वजनिक हस्तियों की भागीदारी के बारे में निर्जन बहस में शामिल होने तक विस्तारित है परन्तु, जहां तक उनके निजी जीवन का संबंध है, संविधान में निर्धारित लोकतांत्रिक जीवन शैली के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता के साथ–साथ गोपनीयता के अधिकार और मानहानि के अधिकार का उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए। जनसंचार के माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव के अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। मीडिया को न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। समाचार मीडिया की विश्वसनीयता निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग पर टिकी हुई है। यह सुनिश्चित करना मीडिया के हित में है कि न्याय प्रशासन को अन्यून न किया जाये।

मुख्य शब्द

लोकतंत्र, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार.

परिचय

मीडिया की इस बात के लिए सराहना की जा सकती है कि उसने एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया है, जिसमें मीडिया आरोपी को पकड़ने में सक्रिय भूमिका निभाता है। पिछले दो दशकों में, केबल टेलीविजन, स्थानीय

रेडियो नेटवर्क और इंटरनेट के आगमन ने जनसंचार मीडिया की पहुंच और प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया है। आंग्ल भाषा के अतिरिक्त अन्य स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार देश में लगातार बढ़ रहा है। समाचार एकत्र करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ मिलकर इस निरंतर बढ़ती पाठक संख्या और दर्शकों ने मीडिया संगठनों को लोकप्रिय राय को आकार देने में एक अभूतपूर्व भूमिका दी है। हालांकि, मीडिया की स्वतंत्रता में कुछ सीमा तक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी शामिल है।

लोकतंत्र में मीडिया की शक्ति और महत्व को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। मीडिया न केवल किसी की अभिव्यक्ति और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, बल्कि यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर राय बनाने हेतु सहायक सिद्ध होते है। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका आम जनमानस की सोचने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। वैश्वीकृत मीडिया की बढ़ती भूमिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति लर्न्ड हैंड के अनुसार– ''प्रेस, रेडियो, स्क्रीन और पत्रिका पर शासन करने वाला हाथ राष्ट्र पर शासन करता है।

लोकतंत्र जनता का शासन है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भारतीय समाज के तीन मजबूत स्तम्भ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समाहित है, अनुच्छेद19(1)(क) एक चौथे स्तंभ मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में समाहित करता है। यह समाज के एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, प्रणाली में गलतियों पर ध्यान देने का प्रयास करता है, और उन्हें जनमानस में प्रचार प्रसार कर लोगों में ज्ञान एवं सुधार की उम्मीद करता है। मीडिया की भूमिका और महत्व उसकी रिपोर्टिंग, जवाबदेही और व्यावसायिकता की आवश्यकता पर बल देता है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं की भांति प्रेस की स्वतंत्रता का उपयोग उचित परिसीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद19(1)(क) के अंतर्गत स्वतंत्रता किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं करने के कर्तव्य के साथ सम्बंधित है।

संवैधानिक परिपेक्ष्य में जनसंचार के साधनों द्वारा विचारण

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 का अनुच्छेद 19 जनसंचार के साधनों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतीक है, अर्थात्, ''हर किसी को हस्तक्षेप के बिना राय रखने का अधिकार होगा और मौखिक, लिखित या प्रिंट रूप में, कला के रूप में, या अपनी पसंद के किसी अन्य जनसंचार? के माध्यम से, जानकारी और विचारों को खोजने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी।

मीडिया विचारण ने एक समस्या को जन्म दिया जिसमे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों– स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र विचारण को शामिल है। दोनों ही व्यवस्था आम जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र में जनता के अधिकार से उत्पन्न है, जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर जनता की राय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एक्सप्रेस समाचार पत्र (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड प्रति भारत संघ के प्रकरण में न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक और राजनीतिक मिलन का केंद्र है। प्रेस ने अब सार्वजनिक शिक्षक की भूमिका ग्रहण कर ली है, जो विशेष रूप से विकासशील विश्व परिदृश्य में वृहद स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को संभव बनाता है, जहां टेलीविजन और अन्य प्रकार के आधुनिक संचार सुविधा आज भी समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। प्रेस का उद्देश्य तथ्यों और विचारों को प्रकाशित करके सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना होता है, जिसके बिना एक लोकतांत्रिक सरकार एक जिम्मेदार निर्णय नहीं ले सकती है। समाचार पत्रों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रभाव डालने वाले समाचार और विचारों के अंतर्गत अक्सर ऐसी सामग्री प्रकाशित की जाती है जो सरकारों और अन्य अधिकारियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समुचित कार्यकरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है।

प्रिंटर (मैसूर) लिमिटेड प्रति सीटीओ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि– यद्यपि प्रेस की स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से गारंटी प्रदान नहीं की गयी है, फिर भी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

में निहित है। लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता सदैव से एक पोषित अधिकार रहा है और प्रेस को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ के रूप में वर्णित किया गया है।

आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि प्रेस की स्वतंत्रता सार्वजनिक मुद्दों और घटनाओं में सार्वजनिक हस्तियों की भागीदारी के बारे में निर्जन बहस में शामिल होने तक विस्तारित है परन्तु, जहां तक उनके निजी जीवन का संबंध है, संविधान में निर्धारित लोकतांत्रिक जीवन शैली के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता के साथ–साथ गोपनीयता के अधिकार और मानहानि के अधिकार का उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्युतपन्न हुई है, जो अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा सभी नागरिकों को गारण्टीकृत करती है। प्रेस को किसी विशेष प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जा सकता है जो देश के किसी भी नागरिक पर नहीं लगाया जा सकता है।

भारत में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न्याय के मूल सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस अधिकार की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रावधान न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 और अनुच्छेद 129 और 215 (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अवमानना क्षेत्राधिकार शक्ति क्रमशः स्वयं की अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति) के अंतर्गत निहित हैं।

जनसंचार के साधनों हेतु विशेष चिंता का विषय वे प्रतिबंध हैं जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के गुण–दोष से संबंधित मामलों की चर्चा या प्रकाशन पर लगाए जाते हैं। एक पत्रकार अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी हो सकता है यदि वह ऐसा कुछ भी प्रकाशित करता है जो निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है या गुण–दोष के आधार पर न्यायालय के समक्ष आपराधिक या नागरिक कार्यवाही हो।

जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का आशय स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति का के वातावरण से सम्बंधित होगा। निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ होता है, एक ऐसा परीक्षण जिसमें अभियुक्त, गवाहों या जिस कारण पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके पक्ष या उसके विरुद्ध पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह को समाप्त कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 20, 21 और 22 के अन्तर्गत भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है।

मीडिया द्वारा विचारण न्यायालय की अवमानना है और इस हेतु दंडित किए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम इसे सिविल के रूप में पहचान करके अवमानना को परिभाषित करता है और आपराधिक लंबित मामलों पर टिप्पणी करना अवमानना के समकक्ष हो सकता है जब कोई मामला किसी न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो। किसी भी संपादक को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करने की कोशिश करने के लिए एक जांचकर्ता की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोपाल राव ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बारे में विधि को सुनियोजित करते हुए परिभाषित किया है। वाई. वी. हनुमंत राव बनाम के. आर. पट्टाभिराम और अन्य के प्रकरण में कहा गया कि जब प्रकरण किसी न्यायालय के समक्ष लंबित होता है, तो कोई भी इस पर इस तरह से टिप्पणी नहीं करेगा कि कार्यवाही के विचारण के लिए पूर्वाग्रह का वास्तविक और पर्याप्त खतरा है। न्यायाधीश, गवाहों के प्रभाव या सामान्य रूप से मानव जाति को किसी कारण के पक्ष के विरुद्ध पूर्वाग्रह करके, यहां तक कि यदि टिप्पणी करने वाला व्यक्ति सत्य मानता है, तो भी यह न्यायालय की अवमानना है, यदि वह कार्यवाही में ज्ञात करने से पहले सत्यता के पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। निष्पक्ष सुनवाई के इस सामान्य नियम में एक और नियम जोड़ा जा सकता है और वह यह है कि कोई भी, मिथ्या टिप्पड़ी या अन्यथा, किसी भी कारण हेतु पक्ष कारों में से एक पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा जिससे उसे अपनी शिकायत या बचाव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके।

सुशील शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) और अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में मा. न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि, यदि कोई हो, मीडिया की रिपोर्ट पर आधारित नहीं होगी, बल्कि अभिलेखों पर उद्धत् तथ्यों पर आधारित होगी। न्यायाधीश को तटस्थ माना जाता है। अब यदि इन समाचारों के कारण निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के संबंध में याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे न्यायाधीश के तटस्थ नहीं होने की आकांक्षा पैदा होगी। प्रेस रिपोर्ट हो या कोई रिपोर्ट न हो, आरोप रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तय किया जाना चाहिए। आरोप बाहरी परिस्थितियों या तथ्यों के आधार पर तय नहीं किए जा सकते हैं, जो अभिलेखों पर उद्धत् सामग्री को तोड़ते हैं। आरोप तय करते समय न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया विचार करेगा। याचिकाकर्ता की यह आशंका कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, निराधार है। किसी भी समाचार को, यदि समग्र रूप से उचित तरीके से पढ़ा जाए, तो यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि न्याय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप है या किसी भी तरह से न्यायालय के अधिकार को कम किया है। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, अगर प्रेस ने आरोप पत्र की सामग्री का खुलासा किया है, तो यह किसी भी तरह से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है।

सैबल कुमार गुप्ता और अन्य प्रति बी. के. सेन और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समाचार पत्र के लिए एक अपराध की व्यवस्थित रूप से स्वतंत्र जांच करना और उस जांच के परिणामों को प्रकाशित करना अविधिक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब देश के नियमित न्यायाधिकरणों में से एक द्वारा परीक्षण चल रहा है, तो समाचार पत्रों द्वारा परीक्षण को रोका जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण का आधार यह है कि एक समाचार पत्र की ओर से इस तरह की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है चाहे जांच आरोपी या अभियोजन पक्ष को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करती हो। एक समाचार पत्र द्वारा किए गए विचारण और इस मामले में जो कुछ हुआ है, उसके बीच कोई तुलना नहीं है।

हरिजय सिंह और अन्य प्रति विजय कुमार, के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाओं पर निर्णय करने का अवसर था, इसे सरकार के लोकतांत्रिक रूप की एक आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता दी गयी थी और इसे एक लोकतांत्रिक समाज में अन्य सभी स्वतंत्रताओं की मां के रूप में माना जाता था। अनुच्छेद 19 (1) (क) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार में सूचना का अधिकार और सभी प्रकार के जनसंचार माध्यम से प्रसार करने का अधिकार शामिल है। हमदर्द दवाखाना प्रति भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विचारण या सार्वजनिक आंदोलन के माध्यम से विचारण ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें विधि के शासन के विरोधी के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि वे न्याय की विफलता का कारण बन सकते हैं। माननीय न्यायालय की राय में, एक न्यायाधीश को इस तरह के दबाव के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करनी चाहिए।

अनुकूल चंद्र प्रधान प्रति भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मौका नहीं आना चाहिए कि इन मामलों (हवाला लेनदेन) से जुड़े प्रचार ने निष्पक्ष सुनवाई की अनिवार्यता और न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देने की कोशिश की है, जिसमें मुकदमे के अंत में दोषी पाये जाने तक आरोपी की बेगुनाही की धारणा भी शामिल है।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत प्रतिरक्षा

अदालत अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत, पूर्व–परीक्षण प्रकाशनों को अवमानना कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण दिया जाता है। कोई भी प्रकाशन जो किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है या बाधित करता है, जो वास्तव में 'लंबित' है, केवल तभी यह अधिनियम के तहत अदालत की अवमानना का गठन करता है। स्पष्टीकरण के खंड (क) की धारा 3(2), उपखंड (ख) के अन्तर्गत, 'लंबित' को परिभाषित किया गया है– आपराधिक कार्यवाही के मामले में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) या किसी अन्य विधि के अन्तर्गत– (प) जहां यह किसी अपराध के होने से सम्बंधित है, जब आरोप पत्र या चालान दायर किया जाता है, या जब अदालत आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी करती है,

जैसा भी मामला हो कुछ कार्य, जैसे कि पूर्व–परीक्षण चरण में मीडिया में प्रकाशन, निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के प्रकाशन आरोपी की पिछली दोषसिद्धि, या उसके सामान्य चरित्र के बारे में या पुलिस के सामने उसके कथित कबूलनामे के बारे में सम्बन्धित हो सकते हैं। अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के मौजूदा ढांचे के तहत, जैसा कि आरुषि तलवार मामले के दौरान देखा गया था, मीडिया रिपोर्ट, जहां प्रेस किसी भी गिरफ्तारी से पहले ही उग्र हो गया था, अटकलें लगा रहा था और उंगली उठा रहा था, को छूट दी गई है, बावजूद इसके कि इस तरह के प्रकाशन न्याय प्रशासन के साथ गम्भीर व्यवहार करते हैं। ऐसे प्रकाशन अनियंत्रित हो सकते हैं यदि कोई विधायी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो 'लंबित' शब्द को फिर से परिभाषित करके अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 में 'गिरफ्तारी किये जाने के समय से' को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में नियोजित आदेशों के माध्यम से न्यायिक नियंत्रण किया जा सकता है।

ऐसी कमियों के कारण, प्रेस को परिणामों के डर के बिना रंगीन कहानियों को छापने की खुली छूट है। एक परजीवी की तरह, यह किसी भी जवाबदेही से रहित अपराध और सार्वजनिक आक्रोश के अत्याचार पर खुद को आतिथेय करता है।

निष्कर्ष

जनसंचार के माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव के अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। मीडिया को न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। मीडिया को न्यायालय की कार्यवाही में छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि वे कोई खेल आयोजन नहीं हैं। विधि आयोग ने 'मीडिया ट्रायलः फ्री स्पीच बनाम आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई' पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। मीडिया को विनियमित करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह होगा कि बुनियादी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने के लिए न्यायालय के अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाये। न्यायालय द्वारा मीडिया चौनलों और समाचार–पत्रों के विरुद्ध अवमानना शक्तियों के उपयोग को मा0 उच्च न्यायायलय द्वारा कई मामलों में मंजूरी दी गई है, परन्तु मीडिया को इस सीमा तक वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह मामले को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर सके।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्मम प्रतिस्पर्धा में चला गया है। 'आक्रामक पत्रकारिता' के नाम पर संदिग्धों या अभियुक्तों पर कैमरों की भीड़ दिखाई जाती है। कई अवसरों पर पत्रकारिता टीआरपी रेटिंग या बिक्री बढ़ाने हेतु की जाती है। कई अवसरों पर पत्रकारों ने अपना काम गंभीर इरादे और दृढ़ विश्वास, साहस और निष्ठा के साथ किया। उन्होंने आरोपों का अध्ययन करने, उनकी जांच करने और बिना किसी डर या पक्षपात के अपने स्वयं के स्वतंत्र निष्कर्ष पर आने का गंभीर प्रयास किये। वर्तमान में हम 'मीडिया ट्रायल' के रूप में मीडिया की एक अलग स्व–अर्जित भूमिका देख रहे हैं। मीडिया को न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। लेबर लिबरेशन फ्रंट मामले में न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी ने दुःख प्रकट किया कि पत्रकारिता के मानदण्ड किस स्तर तक चले गये हैं। एम.पी. लोहिया प्रति पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने पर पत्रिका के प्रकाशक, सम्पादक और पत्रकार को चेतावनी दी, जिसने विचाराधीन मामले के तथ्यों की रिपोर्टिंग की थी। समाचार मीडिया की विश्वसनीयता निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग पर टिकी हुई है। यह सुनिश्चित करना मीडिया के हित में है कि न्याय प्रशासन को अन्यून न किया जाये।

सन्दर्भ सूची

1. (1994) 6 SCC 632
2. (2005) 2 SCC (Jour) 75
3. Subhash Chandra v. S. M. Agarwal, 1984 Cr. LJ 481(Del)

4. DM v. MA Hamid Ali Gardish, AIR 1940 Oudh 137
5. AIR, 1975 AP 30
6. 1996 Cr. LJ 3944
7. AIR 1961 SC 633
8. (1996) 6 SCC 466, paras 8, 9 and 10
9. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting v. Cricket Association of West Bengal, 1995(2) SCC 161; Romesh Thapar v. State of Madras 1950 SCR 594; See also Life Insurance Corporation of Indiav. Manubhai D Shah, (1992 (3) SCC 637
10. 1960 (2) SCR 671
11. State of Maharashtra v. Rajendra Jawanmal Gandhi, 1997 (8) SCC 386
12. 1996 (6) SCC 354.
13. Contempt of Court Act, (1971)' [Report number 200 prepared in 2006
14. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966, 16 दिसंबर 1966 के महासभा संकल्प 2200, (XXI) द्वारा हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और परिग्रहण के लिए अपनाया और खोला गया, जो 23 मार्च 1976 को लागू हुआ।
15. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 का अनुच्छेद 19:
    1. हर किसी को बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने का अधिकार होगा।
    2. प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगाय इस अधिकार में सीमाओं की परवाह किए बिना, या तो मौखिक रूप से, लिखित रूप में या प्रिंट में, कला के रूप में, या अपनी पसंद के किसी अन्य मीडिया के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी और विचारों को खोजने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होगी।
    3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग इसके साथ विशेष कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन करता है। इसलिए यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, लेकिन ये केवल ऐसे होंगे जो कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं और आवश्यक हैं:
        (क) दूसरों के अधिकारों या प्रतिष्ठा के संबंध में;
        (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था (सार्वजनिक रूप से), या सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए।

****